192 32 सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में परिलब्धियों के आधार पर वेतन निर्धारण के मामले

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर डीपीई के दिनांक 02.06.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का का निदेश हुआ है। भली भांति विचार करने के पश्चात दिनांक 02.06.2009 के कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने और ऐसे मामलों में 02.06.2009 से पहले यथालागू आहरित परिलब्धियों की रक्षा के दर्जे को पुनः बहाल करने का निश्चय किया गया है।

2. यदि आहरित वेतन अधिकतम वेतनमान (जिसमें अधिकारी की नियुक्ति की गई है) की तुलना में अधिक है, तो वेतन निर्धारण वेतनमान के अधिकतम सीमा पर किया जाएगा और पूर्ववर्ती वेतन/परिलब्धियों (मूल वेतन, ग्रेड वेतन (यदि कोई है) और महंगाई भत्ता) तथा निर्धारित किए जाने वाले वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के बीच अंतर, यदि कोई है, तो उसे ऐसे मामलों में 02.06.2009 के पहले जैसा किया जा रहा था, वैसे ही 'वैयक्तिक वेतन' के रूप में आहरित करने की अनुमति होगी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन निर्धारण का उपर्युक्त फार्मूला असमान मामलों अर्थात अधिकारियों के वेतन का निर्धारण उत्तरवर्ती वेतनमान से संशोधन पूर्व वेतनमान में किया जाना है अथवा सीडीए वेतनमान के बजाय आईडीए वेतनमान को अपनाया जाना है, में ही लागू होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार वैयक्तिक वेतन के संदर्भ में डीपीई के दिनांक 09.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 02 (76)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) के अंतर्गत अस्वीकार किए गए विशेष/सुरक्षित/वैयक्तिक वेतन के साथ कोई भ्रांति पैदा न की जाए।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (24)/09–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल– **IV** /2010, दिनांक 05 मार्च, 2010)

*****